

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

No. 2005/H/7/1/Misc. Safety.

New Delhi dt. 3.02.2006

General Manager,
All Zonal Railways

Sub: Recommendations made by Commissioner of Railway Safety regarding "Mandatory collection of blood samples of the crew (engine crew and guard) of the trains involved in accidents – Monitoring of Implementation of Board's instructions on Zonal Railways.

=====

Instructions regarding mandatory collection of blood samples of crew (engine crew and guard) of the trains involved in accidents" were issued to all Zonal Railways vide Board's letters No. 99/H/7/1/CR on 14th March 2001. The same have been reiterated several times since then.

2. The above instructions have been incorporated under Para 565 of Indian Railway Medical Manual, 2000 by adding as an Annexure – XXIV to Chapter-V thereof. The above amendment was issued vide Board's letter No. 99/H/7/CR dt. 15.12.2003 enclosing therewith an ACS No. 11 of Health / 2003.

3. Board desire that all zonal railways should send the implementation report of the above instructions to this office, -So that the consolidated position of the implementation of the recommendations of CRS / CCRS could be put up to Board for information.

4. Please acknowledge receipt.



(Dr. Gajendra Kumar)
Director, Health (FW)
Railway Board.

Copy for information and compliance to :-

- i) Chief Medical Directors, All Indian Railways; and
- ii) Chief Safety Officers, All Indian Railways.

Blood Test

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2005/एच/7/1/मिस सेफ्टी

नई दिल्ली, दिनांक 31.2.2006

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.


विषय : दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों के गाड़ी कर्मीदल (इंजन कर्मीदल एवं गार्ड) के खून के नमूने अनिवार्य रूप से इकट्ठे करने के संबंध में रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों- क्षेत्रीय रेलों पर बोर्ड के अनुदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी के संबंध में.

बोर्ड के दिनांक 14 मार्च 2001 के पत्र सं. 99/एच/7/1/सी आर के तहत सभी क्षेत्रीय रेलों को दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों के कर्मीदलों (इंजन कर्मीदल एवं गार्ड) के खून के नमूने अनिवार्य रूप से इकट्ठे करने के संबंध में अनुदेश जारी किए गए थे. तब से इन्हें कई बार दोहराया गया है.

2. उपर्युक्त अनुदेशों को भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली 2000 के पैरा 565 के अंतर्गत इसके अध्याय V के अनुबंध XXIV के रूप में जोड़कर समाविष्ट किया गया है. उपर्युक्त संशोधन बोर्ड के दिनांक 15.12.2003 के पत्र सं. 99/एच/7/सी आर के तहत स्वास्थ्य/2003 की ए-सी-एस-सं 11 को संलग्न करते हुए जारी किए गए थे.

3. बोर्ड चाहता है कि सभी क्षेत्रीय रेलें उपर्युक्त अनुदेशों के संबंध में कार्यान्वयन रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजें, ताकि रेल संरक्षा आयुक्त/मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त की सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी समेकित रिपोर्ट बोर्ड को सूचनार्थ प्रस्तुत की जा सके.

4. कृपया पावती दें.



(डॉ. गजेन्द्र कुमार)
निदेशक, स्वा. (प.क.)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित -

1. मुख्य चिकित्सा निदेशक, सभी भारतीय रेलें एवं
2. मुख्य संरक्षा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें.